Notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue) under the Customs Act, 1962

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO): Sir, I beg to lay on the Table, under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification G.S.R. No. 232, dated the 19th March, 1983, together with an Explanatory Memorandum thereon. [Placed in library. *See* No. LT-6193/83]

Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) (Intimation regarding Mortgage, charge, lien or other interest in any property) Rules, 1983

SHRI VIRBHADRA SINGH: Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (3) of section 30 of the Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1981, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Notification S.O. No. 148(E), dated the 28th February, 1983, publishing the Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) (Intimation regarding Mortgage, Charge, Lien or other interest in any property) Rules, 1983. [Placed in Library. *See* No. LT-6170/83].

Reports and Accounts (1978-79 and 1979-80) of the Export Promotion Council for finished Leather and Leather Manufactures, Kanpur and related papers

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): Sir, I beg to lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Fifteenth Annual Report and Accounts of the Export Promotion Council for Finished Leather and Leather Manufacture, Kanpur, for the year 1978-79, together with the Audit Report on the Accounts and Review by Government on the Report.

(ii) Sixteenth Annual Report and Accounts of the Export Promotion Council for Finished Leather and Leather Manufactures, Kanpur, for the year 1979-80, together with the Audit Report on the Accounts and Review by Government on the Report.

(iii) Statements giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) and (ii) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-6198/83 for (i) to (iii)]

Report (1981-82) of the Central Board for the Prevention and Control of water Pollution, New Delhi.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (SHRI DIGVIJAY SINH): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (1) of section 39 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, a copy (in English and Hindi) of the Annual Report of the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution, New Delhi, for the year 1981-82. [Placed in library. *See* No. LT-6174/83]

REPORT OF THE COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

SHRI ERA SEZHIYAN (Tamil Nadu): Sir, I beg to present the Sixth Report of the Committee on Papers Laid on the Table.

RE. PUBLICATION OF HINDI TRANSLATION OF THE CONSTITUTION OF INDIA BY THE MINISTRY OF LAW

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we take up Special Mentions.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश) : मध्य प्रदेश के बैंक अधिकारी 30-31 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not permitted you. Please take your seat.

SHRI PYARELAL KHANDELWAL:**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I do not allow you. I have not called you. Don't record Mr. Khandelwal.

SHRI PYARELAL KHANDELWAL:**

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यही है कि मेरे हाथ में किताब है भारत का संविधान राजभाषा खंड विधायी भाग विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत द्वारा प्रकाशित हिन्दी में । मैंने इस प्रश्न को उठाया था और भारत सरकार ने जवाब दिया है इस सदन में कि हिन्दी में संविधान का प्राधिकृत सरकार के द्वारा अभी मान्यता प्राप्त नहीं है । जब भारत के संविधान का प्राधिकृत अनुवाद हुआ ही नहीं है तो यह जो विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित है इस को हम प्रामाणिक मानें, प्राधिकृत मानें या ऐसा ही मानें जैसे कोई उपन्यास हो या मनोहर कहानियां हो या तोता-मैना का किस्सा हो ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no point of order.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : पोइन्ट आफ आर्डर कैसे नहीं है । मैं अंग्रेजी नहीं जानता । मुझे इस का जवाब दीजिए ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no point of order. What can I do?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : पोइन्ट आफ आर्डर यही बनता है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता और हम को संविधान अगर सदन में उद्धृत करना हो तो हम कौन से संविधान से उद्धृत करेंगे । जब मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं और हिन्दी में अभी तक संविधान का आपने प्राधिकृत अनुवाद दिया नहीं है । आप इसका जवाब दीजिये या हमारी सदस्यता को समाप्त कर दीजिये ।

श्री उपसभापति : आप इस्तीफा लिख कर भेज दीजिए, हम मन्जूर कर लेंगे ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आप यह कह दीजिये कि हिन्दी में जो संविधान चाहेगा उसके लिए यह सदन नहीं है ।

श्री उपसभापति : संविधान देना मेरा काम नहीं है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : किस का काम है ? सदन का काम है संविधान देना ।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : और आप सदन की कुर्सी पर बैठे हुए हैं ।

श्री उपसभापति : आप बैठिए ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हम कैसे बैठ जाय ? आप व्यवस्था दीजिए; आप हिन्दी में संविधान देंगे या नहीं देंगे ।

श्री उपसभापति : आप ने पोइन्ट रेज कर दिया, पोइन्ट आफ आर्डर नहीं बनता । नियमावली देख लीजिए, फिर आप कृपा करके इस प्रश्न को उठाइये । मेरा अनुरोध यही है कि नियमों में इस की इजाजत नहीं दी जा सकती । आप किसी और तरीके से इस प्रश्न को उठाइये या सवाल पूछिये, कोई मोशन दीजिए, किसी और तरीके से बहस करिए ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यही है कि सदन की नियमावली इसी संविधान के अनुबन्धों के

**Not recorded.

तहत बनी हुई है । सदन चलता है संविधान की धाराओं के तहत, न कि सदन के अनुच्छेदों के तहत संविधान चलता है । जब संविधान के लिये आप हमारी बात नहीं मानेंगे और हिन्दी में उस को नहीं देंगे तो वह कैसे चलेगा ?

श्री उपसभापति : हिन्दी में अभी तो वह आप को मिलने वाला नहीं है, भले ही आप हल्ला मचाते रहिए । Please don't record him.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : **

श्री उपसभापति : आप को यह कोई देने वाला नहीं है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : **

श्री उपसभापति : अब बैठ जाइए ।

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

श्री उपसभापति : मैंने माथुर साहब को बुलाया है । आप बैठिये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ने कहा कि डी० टी० सी० के स्ट्राइक के बारे में स्टेटमेंट होगा । बहुत अच्छा है ।

पंजाब पर डिस्कशन हुए बहुत दिन हो गये । उस के बाद बहुत सी घटनायें हुई हैं । कुछ लोग मारे गये हैं और कुछ नयी बातें सामने आयी हैं । तो मेरा निवेदन है कि कल सदन समाप्त होने वाला है इसलिये पंजाब की स्थिति के बारे में सरकार कम से कम एक वक्तव्य दे दे ताकि हम लोगों को वहां की स्थिति की जानकारी हो जाये । उस पर बहस की गुंजायश नहीं है, लेकिन वहां की जो स्थिति है उस से सदन को अवगत कराया जाना चाहिए, यह मेरा निवेदन है ।

श्री उपसभापति : ठीक है ।

श्री पी० राममूर्ति (तमिलनाडु) : श्री झा जो ने कहा कि हमारे कांस्टीट्यूशन का हिन्दी में तरजुमा होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कांस्टीट्यूशन में हिन्दुस्तान की जितनी नेशनल लैंग्वेजेज हैं, राष्ट्रीय भाषायें जितनी हैं वे सभी इक्वल हैं, बराबर हैं । कोई एक भाषा दूसरी किसी भाषा से ऊंची नहीं है । सभी भाषायें जितनी भी कांस्टीट्यूशन की लिस्ट में लिखी हुई हैं उस का सभी में ट्रांस्लेशन होना चाहिए ताकि हिन्दुस्तान की साधारण जनता जो अंग्रेजी या हिन्दी नहीं जानती हैं वह भी इस बात को ठीक से समझ लें कि हिन्दुस्तान का संविधान क्या है ताकि हिन्दुस्तान की जमहूरियत अच्छी तरह से चले । यह होना चाहिए । यह आप के द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं ।

SHRI ERA SEZHIYAN (Tamil Nadu): I want to make a submission in support of the view expressed by Mr. Shiva Chandra Jha and Mr. Ramamurti. Unless we have got an authorised translation of the Constitution of India and major Acts, it will be very difficult to introduce the State language or the languages of India in the courts. Therefore, I would urge the Government to take early steps to have authorised translations done in all the languages given in the Eighth Schedule of the Constitution of India and the major Acts so that implementation of the procedure in courts can be expedited.

SHRI GHANSHYAMBHAI OZA (Gujarat): The only point that I

*Not recorded.

wanted to make was if this translation is not authorised,—they have not yet prepared an authorised translation...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What can I do? Please raise in a proper way. Please put a question. This is not the procedure for raising it. He should have put a question to the Government. I am not to reply to that. You take it up in a proper procedure. Ten minutes have been wasted on this.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सरकार से कहा जा कर पूछें ? इंडिया गेट पर जायें क्या ? हमारा अधिकार तो इस सदन में है ।

श्री उपसभापति : सदन में है तो मैं इस की इजाजत नहीं देता ।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) : व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया गया है उस के बारे में हमें निवेदन करना है कि संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास कर के संविधान सभा के अध्यक्ष को यह अधिकार दिया था कि संविधान के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ संविधान के हिन्दी संस्करण पर भी संविधान सभा के तमाम सदस्यों के एक साथ हस्ताक्षर कराये जायें और उसी के मुताबिक संविधान सभा के जो अध्यक्ष उस वक्त थे—डा० राजेन्द्र प्रसाद, उन्होंने एक ही दिन अंग्रेजी और हिन्दी दोनों संस्करणों पर संविधान सभा के तमाम सदस्यों के हस्ताक्षर करवाये । तो संविधान सभा का यह प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव के मुताबिक संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान सभा के तमाम सदस्यों के हस्ताक्षर करवाये दोनों संस्करणों पर । तो फिर वह किस तरह से प्रमाणित नहीं है । नम्बर एक । दूसरी बात यह है कि जैसा अभी श्री राममूर्ति जी ने सवाल उठाया, संविधान सभा के प्रस्ताव में यह भी बात है कि राष्ट्रपति जी हमारे संविधान में जो दूसरी भाषायें हैं उन भाषाओं में भी संविधान का संस्करण प्रकाशित करवायें । यह संविधान सभा का प्रस्ताव है कि दूसरी भाषाओं में भी संविधान का संस्करण हो । प्रश्न यह है कि संविधान सभा का यह फैसला है तो वह लागू होगा या किसी मंत्रालय का फैसला लागू होगा ?

श्री उपसभापति : शर्मा जी, मैं यह कहता हूं कि इस प्रश्न को विधिवत ढंग से माननीय सदस्य उठायें । संविधान सभा से आज तक वह हिन्दी में चला आ रहा है, भला-बुरा जैसा भी है । इस प्रश्न को सही तरीके से उठाइये ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (दिल्ली) : श्रीमन्, उन्होंने एक गम्भीर मामला उठाया, आप उस पर व्यवस्था दीजिए ... (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : यह गम्भीर मामला नहीं है । यह सदन का समय बरबाद करना है ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (मध्य प्रदेश) : हिन्दी में अगर संविधान का प्राधिकृत पाठ नहीं है, तो सदन में हमारे संविधान को कोई कोर्ट करना चाहे तो कोर्ट कर सकता है या नहीं क्योंकि वह अधिकृत है या नहीं इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है । इसका जवाब आना चाहिए । ... (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : मैं उसका जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं । ... (**व्यवधान**) ... मैंने पहले कह दिया है कि यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : आपने तो कह दिया कि समय को बरबादी है ...

श्री उपसभापति : यह बिलकुल समय की बरबादी है । . . . (**व्यवधान**)

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र) : यह गम्भीर बात है . . . (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं । . . . (**व्यवधान**)

श्री हुकमदेव नारायण यादव : फर्क यह है कि आप उस जगह पर बैठे हुए हैं, मैं यहां पर बैठा हुआ हूं । . . . (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह तो आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न को किसी और मौके पर उठाइये । . . . (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : लेकिन उनकी समझ में आता नहीं । . . . (**व्यवधान**)

श्री लालकृष्ण आडवाणी : आप कैसे कह रहे हैं कि रैलेवेंट नहीं है, सदन के दो प्रमुख नेताओं ने भी उसका समर्थन किया और आपने कह दिया कि आप समय बरबाद कर रहे हैं। उपसभापति जी, मैं फिर से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस आसन पर बैठे हैं उसकी मर्यादा है, उसकी मर्यादा का पालन कीजिए । . . .

श्री उपसभापति : मुझे आशा है कि आप लोग भी जिस आसन पर बैठे हैं उसका आदर करेंगे । . . . (**व्यवधान**)

श्री शिवचन्द्र झा : श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

श्री उपसभापति : कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है । मैं पहले भी कह चुका हूं; और फिर कहता हूं । अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो इस प्रश्न को चाहे जैसे उठा सकते हैं नियमों के अनुसार । लेकिन प्वाइंट आफ आर्डर के नियमों में यह प्रश्न नहीं आता और जब नियमों के विरुद्ध जब कोई माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं तो वह सदन का समय बरबाद करते हैं ।

श्री शिवचन्द्र झा : श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । . . . (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री शिवचन्द्र झा : दूसरी बात है, घबराइये नहीं । . . . (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : माफ करिये झा जी, आप प्वाइंट आफ आर्डर से संबंधित बात कहिये । बताइये क्या है ?

श्री शिव चन्द्र झा : सुनियेगा तब मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शानदार अखबार 'नेशनल हैरेल्ड' का प्रकाशन किया ।

MR. DEPUTY CAIRMAN: This is not a point of order. Do not record anything of what he says.

श्री शिवचन्द्र झा : . . .

REFERENCE TO THE REPORT RESENTMENT AMONGST THE WORKERS OF THE NATIONAL HERALD, NAVJEEVAN AND QUAMI AWAZ ON ACCOUNT OF NON-PAYMENT OF WAGES ETC.

श्री हरी शंकर भाभड़ा (राजस्थान): उपसभापति महोदय, अभी जिस प्रश्न को झा साहब उठा रहे थे, मैं उसको आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं । श्रीमन् यह बात सही है कि नेशनल हैरेल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज प्रधान मन्त्री परिवार के समाचार-पत्र हैं, यशपाल कपूर

**Not recorded.